तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2006/5181/भरतपुर** **सरकार बनाम कमला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/26	**एकलपीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** ——— **उपस्थित :–** श्री शिवप्रकाश चौधरी, विद्वान उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। ——— **निर्णय** 1– यह रेफरेन्स न्यायालय कलेक्टर, भरतपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 9–7–2002 से अभिशंषित करते हुए राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (तहसीलदार, कुम्हेर) द्वारा प्रार्थना पत्र अवैध हस्तान्तरण बाबत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा ग्राम अजान तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 के खाता संख्या–392 से 398 पर किता–41 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज के नाज दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात एवं अवैध हस्तान्तरण को कलमजन करने की प्रार्थना की गयी है। अप्रार्थीगण को उनके पूर्वजों एवं उनके हक में किये गये अवैध इन्द्राज हस्तान्तरण में की गयी अनियमिता दर्शाते हुये नोटिस जारी किया गया, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण कमला, लक्ष्मन, दरबसिंह पि0 किशनलाल, बाबू भजन, हुब्बलाल, नरेन्द्रपाल सिंह उर्फ चन्दनपाल पि0 मुन्शी की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जमाबन्दी संवत 2013 लगायत 2016 वाके ग्राम अजान के खाता संख्या–392 से 398 की आराजी किता–4 रकबा 34–14 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज की थी, जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वज शिकमी काश्तकार थे, के नाम दर्ज करना अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त भूमि वास्तव में मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण किस प्रकार खातेदार बने, इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिना न्यायालय अथवा सक्षम आदेश के उक्त खातेदारी इंद्राज प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य हैं। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करते हुए विवादित भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज के खाते में दर्ज किया जावे। 3– उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर कर एवं अप्रार्थीगण को तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये, किन्तु बार–बार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2006/5181/भरतपुर** **सरकार बनाम कमला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तामील जारी किये जाने व समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि पुनः मंदिर श्री सीतारामजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

4— विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख यथा जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 के अनुसार ग्राम अजान तहसील कुम्हेर स्थित भूमि खाता संख्या—392 से 398 किता—41 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज की खातेदारी में दर्ज है। मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा मंदिर की भूमि पर शिकमी/गैर खातेदार को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नामांतकरण संख्या 871, 878, 877 व 427 अपास्त अवैध है तथा आराजी के अन्य विरासतन/बयनामा के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 12465, 1290, 1291, 1267, 699 व 1327 भी अवैध व शून्य है। चूंकि अप्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में अनुपस्थित रहे तथा तथा प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अभिवचनों को साबित किया हैं। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा ऐसी भूमि बाबत् पूर्व में किये गये हस्तांतरण व अंतरण विधिनुसार वर्जित है। उक्त तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं के आलोक में मन्दिर माफी की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम हस्तांतरण एवं अन्तरण होना धारा—46 व 16 आर.टी.एक्ट के तहत् विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः उपरोक्त मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

5— परिणामतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/इनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज शिकमी/गैर खातेदार व उनके पक्ष में हुये समस्त नामान्तरकरणों को अवैध एवं नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी को कलमजन किया जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य